

लगी थीं। दोपहर दो बजे के बाद कोर्ट में हलचल तेज हो गयी। पीएसी के सेवानिवृत्त जवान मिलाप सिंह व

उत्तर गए। कुछ देर के लिए व खड़े रहे फिर वहीं सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गए।

पीएसी के जवानों पर तीन महिलाओं से दुष्कर्म, छेड़छाड़ और लूट का आरोप है, जिसमें पांच आरोपियों की

पीड़ितों को न्याय मिलने में देर हुई। सीबीआई के लोक अभियोजक मिलाप सिंह मीणा ने बताया कि आंदोलन के

फैसले से आगे भी न्याय की आस बंधी

हल्द्वानी। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के कुमाऊं प्रभारी नरेश चन्द्र भट्ट और जिला अध्यक्ष नैनीताल दीपक रौतेला ने कहा कि 30 वर्ष के सतत संघर्ष के बाद आखिरकार रामपुर तिराहा कांड के दो दोषियों को सजा तो मिली, हालांकि यह बहुत कम है। फिर भी देर से ही सही पर न्याय की आगे भी आशा

है। आज हम सभी के साथ समस्त उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी परिवार को न्याय मिला है। कुमाऊं प्रभारी ने कहा कि अभी बड़े मगरमच्छ बाकी हैं, जिन्होंने उस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। हालांकि फैसले से मन को शांति मिली। सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं।

'पीड़ितों को न्याय मिलने में देर हुई'

हल्द्वानी। राज्य आंदोलनकारी प्रभात ध्यानी ने कहा कि फैसले के लिए कोर्ट का आभार, लेकिन फैसला आने में बहुत देर हुई है। इसके लिए यूपी और केंद्र की विभिन्न सरकारों जिम्मेदार हैं।

दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा के फैसले से पीड़ितों के जख्मों को भरने में मदद मिलेगी। उम्मीद है कि सरकार खटीमा कांड, मसूरी कांड और श्रीयंत्र टापू के दोषियों को भी सजा दिलाएगी।

फैसला पीड़ित

प्रतिक्रिया

देहरादून, विशेष. संवाददाता। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि रामपुर तिराहा कांड में पीएससी के दो सिपाहियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद आखिरकार पीड़ित राज्य आंदोलनकारियों और उनके परिजनों को इंसाफ मिल पाया। मुख्यमंत्री धामी ने एक बयान में कहा कि राज्य आंदोलनकारियों को इंसाफ के लिए लंबा इंतजार करना



DEHRA DUN CLUB

15, RB UGRASEN ROAD, DEHRADUN-248 001

Phones: 0135-2656660, 7505775750

CIN-U91110UR1957NPL000040

www.dehradunclub.com, email: secretary@doonclub.com

Information to Permanent Members Pursuant to Rule 20(4)(v) of Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 for the Extra Ordinary General Meeting on 12th Day of April, 2024, Friday at 5:00 PM in the club premises.

Notice is hereby given that EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING (hereinafter referred to as the 'EOGM') will be convened at 15, RB, Ugrasen Road, Dehradun, Uttarakhand 248001 on 12th Day of April 2024, Friday at 5:00 PM in the Club premises. Members are requested to note the following:

- The agenda of the meeting has already been sent to the members by either email or post. The members can also refer to the agenda and Notice dated 18.03.2024 of EOGM which is being uploaded on the website of the Club www.dehradunclub.com.
- In line with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) Circulars, the Notice calling the EOGM is being uploaded on the website of the Company at www.dehradunclub.com. The Notice will also be available on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evoting.nsdl.com.
- Voting through electronic means (E-voting):** Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and the Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs the Company is providing facility of remote E-Voting to its Members in respect of the business to be transacted at the EOGM. For this purpose, the Company has appointed National Securities Depository Limited (NSDL) to provide e-voting facility to the members. For the remote E-Voting the Company has entered under the Bipartite Agreement with National Securities Depository Limited (NSDL).
- Business shall be transacted through Remote Voting by Electronic Means (E-Voting) under the Bipartite Agreement with National Securities Depository Limited (NSDL).
- The remote e-voting period begins on 9th Day of April, 2024, Tuesday at 09:00 a.m. and ends on 11th Day of April, 2024, Thursday at 05:00 p.m.
- The Permanent Members, whose names appear in the Register of Members as on the record date (cut-off date) i.e., 18th day of March, 2024 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as the voting by ballot paper in EOGM.
- Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
- Remote E-Voting User Login ID and Password with Instructions shall be received by the Members directly by an email/SMS from NSDL provided the Member has registered with updated email id and mobile number up-till 05:00 PM on Tuesday, 26th March, 2024.
- Once you receive email from NSDL, to obtain user id and password, open the attached PDF file viz.: "e-voting.pdf" with your Membership No. as Password.
Membership number should be alphanumeric only, it should not contain any special characters like (-, /, etc). for example, if membership number is P-3333 then use P3333 to open attached PDF file.
- You will also receive User and password through SMS at your mobile number if mobile number is registered with Dehra Dun Club.
- The facility for voting through Ballot Paper System shall also be made available at the Extra Ordinary General Meeting at 15, RB, Ugrasen Road, Dehradun, Uttarakhand 248 001 on 12th Day of April, 2024 between 6:00 PM to 9:00 PM and members of the Company as of cut-off date attending the meeting who have not already cast their vote by REMOTE E-VOTING SYSTEM shall be able to exercise their voting right at the meeting.
- The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also participate in the EOGM but shall not be entitled/allowed to cast their vote again in the EOGM.
- Members found to be using any fake and/or fraudulent information to participate in and/or influence the Remote E-Voting/Voting by ballot paper shall be solely responsible for the consequences of such an action being recognized as applicable law and also result in an immediate termination of membership of the Club.
- Any query connected with the E-Voting may be referred to
i) Frequently Asked Questions (FAQ) and
ii) E-Voting User Manual available at the Download section of www.evoting.nsdl.com,
iii) call on 022-4886 7000 and 022-2499 7000 and
iv) send a request mail at evoting@nsdl.co.in.
- Any query in respect to agendas shall be entertained till in writing by mail or in hard copy till 5.00 PM on Tuesday, 26th Day of March, 2024.

For and on behalf of Managing Committee
Ajai Kumar Garg
Assistant Secretary
Dehra Dun Club

इण्डियन ओवरसीज बैंक Indian Overseas Bank

क्षेत्रीय कार्यालय, 595, इंदिरा नगर, मलिक चौक, देहरादून- 248006

परिसर की आवश्यकता

बैंक नई शाखाओं को शिफ्ट करने हेतु नए परिसर लेना चाहता है इच्छुक मकान मालिक को सीलबंद कि प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। जिनमें तकनीकी एवं वित्तीय अंकित पत्रा शामिल हो कालीन (कोरपेट) का विवरण नीचे दिया गया है। परिसर में पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध होना चाहिए। किन्हीं का ब्रोकेज शुल्क नहीं दिया जाएगा। किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार कारण दिए बैंक के पास सुरक्षित रहेगा।

निविदा प्रारंभ तिथि- 19.03.2024

उपरोक्त पत्र पर निविदा बोलियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि- 08.04.2024, शाम 4.00 बजे तक

निविदा खुलने की तिथि- 09.04.2024/अगले कार्य दिवस के आधार पर समिति के स्थान 09.04.2024 को अवकाश है तो निविदा अगले कार्य दिवस पर खुलेगी।

आवेदन प्रारूप के लिए हमारी वेबसाइट www.job.in (Tender Section) पर लॉग ऑन कर आवेदन प्रारूप हमारे क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून उपर्युक्त पते से भी प्राप्त किया जा सकते हैं।

क्र.सं.	शाखा का नाम	जिला	वांछनीय कारपेट परिया (वर्ग फुट में)
1.	रूड़की	हरिद्वार	लगभग 2200 से 3000 वर्ग फीट
2.	रेलवे रोड रूड़की	हरिद्वार	लगभग 1200 से 1500 वर्ग फीट
3.	ज्वालपुर	हरिद्वार	लगभग 2000 से 2500 वर्ग फीट
4.	पटेल नगर	देहरादून	लगभग 800 से 1200 वर्ग फीट
5.	भारुवाला ग्रांट	देहरादून	लगभग 800 से 1200 वर्ग फीट

बोलीदाताओं को तकनीकी बोली (भाग-ए) के साथ इण्डियन ओवरसीज बैंक के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट 5950/- का आवेदन शुल्क जमा करना होगा। वरिष्ठ क्षेत्रीय

पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank

(सरफेसी अधिनियम प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत)

आप सभी को इस वैकल्पिक सेवा के अलावा पूर्व में जारी सूचनाओं के सुपुर्द हुए बिना वास्तविक हूं। अतः आप सभी निम्न वर्णित ऋणियों/गारंटियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि 13(2) के नियम 3 के अन्तर्गत सार्वजनिक मांग सूचना जारी की जाती है। ताकि आप सभी कृपया यह नोट करें कि यदि आप मांगी गई सम्पूर्ण राशि का 60 दिनों के अंदर न्यूनतम सम्पत्ति/सम्पत्तियों पर कब्जा करने की प्रक्रिया आरंभ करेगा और उसके बाद उक्त अधिनियम वसूली के लिए बैंक के पास उपलब्ध सुविधाओं से पक्षपात किए बिना आप सभी के विरुद्ध उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर

क्र. सं.	ऋणी / बंधककर्ता / गारन्टर के नाम	प्रतिभूति
1.	शाखा: रूड़की सिविल लार्डिन, हरिद्वार ऋणी: मेसर्स यूपी बोन मिल प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत ऑफिस- 108-109, प्रताप भवन, 5, बाहदूर शाह जंकर मार्ग, आईटीओ, नई दिल्ली- 110002, गारन्टर: श्री शाह नरराज राणा पुत्र श्री बदन राणा, मकान नं 36, कृष्णापुरी, सरोज, मुजफ्फरनगर- 251003, गारन्टर एवं बंधककर्ता: श्री कामरान राणा पुत्र श्री अब्दुल समद राणा, ग्राम- सुजुर, निकट बंसल मोटर, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर-251003, गारन्टर: श्रीमती इंतखाब राणा पुत्री श्री अब्दुल समद राणा, मकान नं 3, कृष्णा पुरी, सुजुर, मुजफ्फरनगर-251003, गारन्टर: श्री शमशाद अहमद पुत्र श्री मोहम्मद अयूब, 570, सेठवल स्टेशन रोड, सेठवल, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश- 246207	संपार्थिक सम्पत्ति: 1. सन् 1566, 1570, 1571, 1731 सदर, तहसील एवं जिला- जिलेख नं 0 12214, दिनक 32 (अब मकान) एवं 20 फैक्ट्री, उत्तर: मोहरिन का 2. बंधक आवासीय सम्पत्ति परगना सदर, तहसील- सदर सम्पत्ति स्वामी श्री कामरान पुत्र श्री शमशाद अहमद पुत्र श्री मोहम्मद अयूब (पंजीकृत है।) सीमाएं:- पूर्व मोहम्मद राशिद एडवोकेट का चौड़ा रास्ता (12 मीटर चौड़ा)

दिनांक- 18.03.2024

स्थान-